

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर**

पत्रांक — 2488/2ई0व0भू0,
सेवा में,

दिनांक 14/09/2018

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय :- जनपद बागेश्वर में हवील कुलवान मोटर मार्ग से स्योकुणा ग्वालदम नाग लिंक मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बंध में। (प्रस्ताव संख्या-12810/2015)

सन्दर्भ :- Online Objection Dated 30-07-2018
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक EDS का अवलोकन करने का कष्ट करें। बिन्दुवार लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण निम्नवत है तथा ऑन लाइन अपलोड कर दिया गया है।

क्र०सं०	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	Following documents are required to be authenticated by DFO- (i) Copy of SOI toposheet and digital map of proposed road at para C(v) & (vi). (ii) SOI toposheet and georeference digital map of CA at para 13(ii)&(iii)	SOI toposheet and digital map & georeference digital map of CA authenticated by DFO is uploaded online part-I.
2	NPV density is mentioned as 0.3 in hard copy whereas shown 0.2 at para 4(ii) online.	NPV density 0.3 is shown at para 4(ii) online.
3	In the employment generation detail total number in mendays for approximately 2.9km long road still seems incorrect.	Employment generation detail total number in mendays for 2.9km long road has been filled 300 mendays as temporary employment.
4	VLC meeting proceeding for gram 'Juna' Reserve is not submitted.	VLC meeting for 'Juna' held on 08.08.2018 is uploaded and hard copy is enclosed herewith.
5	CA scheme at para 13 online Part-II not found uploaded	Action taken from your end please.
6	Hard copy of part III,IV & V is not submitted.	Hard copy is submitted vide this office letter no. 1442/2 ई0व0भू0 Dtd. 24.06.2017
7	Reclamation plan of muck dumping is not submitted.	Reclamation plan for Muck is prepared and uploaded online, as well as had copy is enclosed herewith.

Please upload the same from your end.

Enclosed- Hard copy of VLC 'Juna' & Reclamation plan for Muck.


Executive Engineer
Provincial Division PD,PWD
Bageshwar.

1.6

Form-1

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No-----

Dated 02-5-2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.03 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT for Construction of Haweel Kulwan to Sykuna Gwaldam Nag Link motor road in Bageshwar district falls within jurisdiction of Sykuna village in Garur Tehsil.**

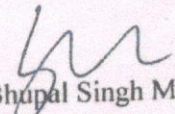
It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.03 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23-3.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Dated 02-5-2015

Signature


(Bhupal Singh Manral,
District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

1.6

प्रपत्र-30

परियोजना का नाम:- बागेश्वर में हवील कुलवान से स्योकुणा ग्वालदम नाग लिंक मोटर मार्ग के निर्माण के निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-ज्योणा
तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में हवील कुलवान से स्योकुणा ग्वालदम नाग लिंक मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (1.225 है० आरक्षित वन भूमि, 0.000 है० सिविल सोयम भूमि, 0.805 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.030 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ज्योणा द्वारा दिनांक 08.08.2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ज्योणा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव
वि०ख० - गरुड़ (बागेश्वर)


ग्राम पंचायत ज्योणा स्टेट
वि० ख० गरुड़ (बागेश्वर)
ह०/
ग्राम प्रधान

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम:- बागेश्वर में हवील कुलवान से स्योकुणा ग्वालदम नाग लिंक
मोटर मार्ग के निर्माण के निर्माण।

दिनांक 08-08-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-ज्योणा

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	चम्पन सिंह	चम्पन सिंह
2-	दरवान सिंह	दरवान सिंह
3-	भूपाल सिंह	भूपाल सिंह
4-	पंचम सिंह	पंचम सिंह
5-	बलवान सिंह	बलवान सिंह
6-	राम सिंह	राम सिंह
7-	गुमान सिंह	गुमान सिंह
8-	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
9-	दयाल सिंह	दयाल सिंह
10-	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
11-	दयाल सिंह	दयाल सिंह
12-	दीपा देवी	दीपा देवी
13-	शंकर सिंह	शंकर सिंह
14-	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
15-	पूजन सिंह	पूजन सिंह
16-	शंकर नाथ	शंकर नाथ

ग्राम पंचायत अध्यक्ष
वि०ख० न० (बागेश्वर)

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:-

जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हवील कुलवान मोटर मार्ग से स्योकुणा ग्वालदम नाम मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का लोकनिर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - हवील कुलवान
तहसील गुरुड जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में हवील कुलवान मोटर मार्ग से स्योकुणा ग्वालदम नाग मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (125 है० आरक्षित वन भूमि, ००० है० सिविल सोयम भूमि, ००० है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 203 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत हवील कुलवान द्वारा दिनांक 25-9-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम हवील कुलवान एवं स्योकुणा ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

जोहन सिंह

सरपंच

वन पंचायत हवील कुलवान
दिनांक गुरुड (बागेश्वर)

4/10/14

प्रधान

ग्राम पंचायत हवील कुलवान
दिनांक 25-9-2014 तहसील गुरुड (बागेश्वर)
जिला बागेश्वर

ह0/
ग्राम प्रधान

ह0/
ग्राम विकास अधिकारी,
ग्राम सचिव
दिनांक 25-9-2014

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 25-9-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - हवील कुलवान

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दिनकर लिवारी 50 विमान चडु लिवारी	दिनकर
2	मोहन सिंह पिठर 50 रघुवीर सिंह	मोहन सिंह
3	गंगा सिंह पिठर 50 धन सिंह	गंगा सिंह
4	दरवारन सिंह 50 रत्न सिंह	दरवारन सिंह
5	रुद्र सिंह 50 रत्न सिंह	रुद्र सिंह
6	हरीश राम 50 गुलाब राम	हरीश राम
7	देवा बिरा पूर्व 50 10 हवील उत्तम	देवा बिरा
8	सीता देवी w/o मादोराम	सीता देवी
9	गोपाल राम 50 लखवाराम	गोपाल
10	चैत राम 50 मधो राम	चैत राम
11	हुकम सिंह 50 कौर सिंह	हुकम सिंह
12	मोहन सिंह 50 बेदा सिंह	मोहन सिंह
13	भूपाल सिंह 50 बलकर सिंह	भूपाल सिंह
14	कुन्दन राम 50 मदन राम	कुन्दन राम
15	दयाल राम 50 भोहेन्द राम	दयाल राम
16	रामजीत सिंह 50 गोपाल सिंह	रामजीत सिंह

दिनांक 25-9-2014
 ग्राम पंचायत हवील कुलवान
 जिला - गुरुदासपुर
 तहसील - गुरुदासपुर

मोहन सिंह सरपंच
 ग्राम पंचायत हवील कुलवान
 दिनांक 25-9-2014 (बुधवार)

मादोराम
 ग्राम पंचायत हवील कुलवान
 दिनांक 25-9-2014 (बुधवार)
 जिला - गुरुदासपुर

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम:-

जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हवील कुलवान मोटर मार्ग से स्योकुणा ग्वालदम नाम मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का लोकनिर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

कार्यालय उप जिलाधिकारी गरुड़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- गरुड़

उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत हवील कुलवान मोटर मार्ग से स्योकुणा ग्वालदम नाम मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 122.5 है० आरक्षित वनभूमि, ०.७७ है०, सिविल सोयम वन भूमि ०.१०५ है०, वन पंचायत भूमि (अर्थात् कुल 2.१३ है० वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील गरुड़ की दिनांक 24.4.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~श्री एस. डी. डी. डी.~~ उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री एस. डी. डी. डी.	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री एस०एन० त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री राजेंद्र सिंह रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4-	श्री जगदीश कुमार	बी०डी०सी० क्षेत्र, सिरकोट	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि हवील कुलवान मोटर मार्ग से स्योकुणा ग्वालदम नाम मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.१३ है० भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत हवील कुलवान मोटर मार्ग से स्योकुणा ग्वानदम नाग मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.83 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरुड़
जनपद-बागेश्वर (28.08.20)

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरुड़
जनपद-बागेश्वर (28.08.20)

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

1-	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2-	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3-	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/ सचिव

आज दिनांक 01.05.2015 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरुड़ के प्रमाण पत्र दिनांक 24.4.2015 द्वारा हवीलकुलवान मोटर मार्ग से स्योकुणा ग्वालदम नाग लिंक मोटर मार्ग के लिए 2.03 है० भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा हवीलकुलवान मोटर मार्ग से स्योकुणा ग्वालदम नाग लिंक मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरुड़ के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर हवीलकुलवान मोटर मार्ग से स्योकुणा ग्वालदम नाग लिंक मोटर मार्ग के लिए 2.03 है० उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा हवीलकुलवान मोटर मार्ग से स्योकुणा ग्वालदम नाग लिंक मोटर मार्ग के लिए 2.03 है० भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
प्रभाग
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

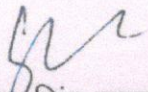
1.6
प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हवील कुलवान मोटर मार्ग से स्योकुणा ग्वालदम नाग लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित हवील कुलवान मोटर मार्ग से स्योकुणा ग्वालदम नाग लिंक मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.03 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गरुड़ तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

दिनांक 02-5-2015


(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।

सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिला अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हवील कुलवान मोटर मार्ग से स्योकुणा ग्वालदम नाग लिंक मोटर मार्ग निर्माण।

भारत सरकार के पत्रांक 11/मिस0/618/2010/उ0प्र0,राज0, उत्तराखंड/11/58 दिनांक 16.04.14
साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार मलवा निस्तारण योजना।

MUCK DISPOSAL PLAN

1. Calculation of muck to be generated. Swell factor has to be applied	7350 cum. As per item no. 1 of enclosed muck disposal plan.
2. Quantity of muck to be utilized in the project activities.	Approximate 85% i.e. 5880 cum. As per item no. 2 of enclosed muck disposal plan.
3. Balance quantity of muck which requires disposal/ Management plan.	1470 cum, As per item no. 3 of enclosed muck disposal plan.
4. Carriage of muck from the muck generation site to the dumping site.	Provision for carriage of muck to muck disposal site is being made Rs, 80,850.00 As per item no. 4 of enclosed muck disposal plan.
5. Ownership of land and the consent of land owners, in case muck disposal is proposed on non forest land. Photo graph & carrying capacity of proposed dumping site (Muck disposal site)	State Govt.Forest land. . (Private land not available) Muck dumping site proposed in khud side of the road in each km. for which 0.048 hect. extra area is being included in the land schedule. Muck disposal site shown in Google map. Carrying capacity of proposed dumping site is 1500cum as per item no. 5(a) of enclosed muck disposal plan.
6. Development of dumping site- construction of retaining walls and other structure as per requirement of the site. The objective is to completely stop rollig down of the muck.	Provision for development and construction of retaining walls etc. in dumping site Rs. 1,65,000.00 is being made as per item no. 5(b) of enclosed muck disposal Hence total provisions for muck disposal will be made Rs. 2,45,850.00 As per item no. 6 of enclosed muck disposal plan.,
7 Rehabilitation of dumping site like leveling, planting of grass, shrubs and tree species	Dumping site selected in khud side of the proposed motor road.After construction of motor road plantation will be made by the Forest Department through the provisions of both site plantation fund to be deposited by this Department.
8 Reclamation Plan for Muck Disposal	Taking 20% total cost of muck disposal i.e Rs. 165000.00 = Rs.33,000.00

Note- Cost to be incurred on the above activities has to be given component wise. Detail of dumping site including length, width and height of structures to be executed must be meintioned.

Enclosed - Muck disposal plan.

Undertaking

I undertaking that -

1. Muck management plan will be implemented by the user agency.
2. The proposed dumping site is located away from river/ Stream/ Nala.
3. Dumping site is not located in reserved forest

Junior/ Engineer
Provincial Division PWD
Bageshwar

Assistant Engineer
Provincial Division PWD
Bageshwar

Executive Engineer
Provincial Division PWD
Bageshwar

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हवील कुलवान मोटर मार्ग से स्योकुणा ग्वालदम नाग लिंक मोटर मार्ग निर्माण।

MUCK DESPOSAL PLAN

- 1 Maerial received from hill side cutting
 $1/3 \times 3000 \times 3 \times (2+1.5)/2$ = 5250.00 Cum.
 40 % for swell factor. = 2100.00 Cum
 Grand total :- = 7350.00 Cum.
- 2 Total material (muck) used in motor road during construction – details as given below

S No.	ITEM	QUANTITY (Cum)
1.	R.R. Stone Masonary laid in 1:6	1888
2.	R.R. Stone Masonary laid in dry	1888
3.	Hand Packed Stone Filling	773
4.	Wire-crate Construction	386
5.	Parapet Construction	0
6.	Granular Sub-base/Base/Surface 00	945
	Total Muck	5880.00

- 3 Balance material (muck) to be deposited in muck desposal site. = 1470.00 Cum,
- 4 Cost of cartage of balance muck upto dumping site 1470.00 Cum @ Rs. 55.00/Cm. = Rs. 80,850.00

- 5 Location and capacity of muck dumping yard.
 (a) Construction of R.R. dry wall including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of the work as per PWD detailed specification.

Location	Size of dumping yard.	Qty. (in cum)	Type of land	Capacity of dumpig yard.
In KM. 1	1x80x2x1.50	240	RF	500 Cum
In KM. 2	1x80x2x1.50	240	RF	500 Cum
In KM. 3	1x80x2x1.50	240	VP	500 Cum
	Total =	500		1500 Cum.

- (b) Total cost of construction of dumpig yard 480 cum @ 330.00 per cum. = Rs. 1,65,000.00

- 6 Total Cost of muck desposal plan (4 + 5(b)) = Rs. 2,45,850.00

- 7 **Reclamation Plan for Muck Disposal- Taking 20% of total cost of muck disposal plan Rs. 1,65,000.00 i.e Rs.33,000.00**

- 8 Dumpig site selected in khud side of the proposed motor road. After construction of motor road plantation will be made by the Forest Department through the provisions of both side plantation fund to be deposited by this Department.

Junior Engineer
PD PWD Bageshwar

Assistant Engineer
PD PWD Bageshwar

Executive Engineer
PD PWD Bageshwar